S.S. 17.1.72

रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 514] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 16, 1971/आश्विन 24, 1893

No. 514] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 16, 1971/ASVINA 24, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October 1971

S.O. 4027/IDRA/18E/71. Whereas the Central Government has, by its notified Order in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Department of Industrial Development) No. S.O. 1759/IDRA/18A/71, dated the 30th April, 1971 issued under Section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), authorised the National Textile Corporation to take over the management of the whole of Azam Jahi Mills Ltd., Warangal (hereafter in this notification referred to as the "Industrial Undertaking") for the period specified therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 18E of said Act, the Central Government hereby specifies in the Schedule Annexed hereto, the exceptions, restrictions and limitation, subject to which the Companies Act, 1956 (1 of 1956), shall continue to apply to the Industrial Undertaking in the same manner as it applied thereto, before the issue of notified Order under setcion 18A.

SCHEDULE

Provision of the Companies Act, 1956	Exceptions, restrictions and limitations subject to which the provisions mentioned in column (1) shall apply to the undertaking.
1	2
Section 293(1)(d)	This section shall not apply in respect of any person or body of person authorised by the Central Government to take over the management of the Company under section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

[No. F. 9/22/Lic.Pol./70.]

S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास और आन्तरिक व्यापार मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 1971

का० आ० 4027/आई०डी०आर०ए०/18ई/71.—यतः उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18–क के अधीन जारी किये गये औद्योगिक विकास और आन्तरिक व्यापार मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के अपने अधिसूचित आदेश सं० का० आ० 1759/आई०डी०आर०ए०/18ए/71 दिनांक 30 अप्रैल, 1971 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम को सम्पूर्ण आजम जहि मिल्स लिमिटेड, वारंगल, (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अधिसूचना में "औद्योगिक उपक्रम" कहा गया है) का प्रबन्ध उसमें निर्दिष्ट कालावधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 18ङ की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इससे संलग्न अनुसूची में उन अपवादों, निर्बन्धनों और परिसीमाओं को निर्दिष्ट करती है जिसके अध्यधीन रहते हुए कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) औद्योगिक उपक्रम पर उसी रूप में लागू रहेगा जिस रूप में वह धारा 18-क के अधीन अधिसूचित आदेश के जारी होने से पहले उस पर होता था ।

अनुसूची

कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्ध	वे अपवाद, निर्बन्धन और परिसीमाएं, जिनके अध्यधीन स्तंभ (1) में वर्णित उपबन्ध, उपक्रम पर लागू होंगे ।
1	2
धारा 293(1)(घ)	यह धारा, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18-क के अन्तर्गत कम्पनी का प्रबन्ध हाथ में लेने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निक य के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी ।

[सं० फा० 9/22/लिक०/पोल० 70]

एस० के० सहगल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971